बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याता, माईनिंग इंजीनियरिंग (विज्ञापन संख्या 57/2024)) के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेशः–

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 57/2024, व्याख्याता, माईनिंग इंजीनियरिंग लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 29.04.2025 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें कुल 20 उम्मीदवार सफल घोषित किये गये। आयोग उक्त सभी सफल उम्मीदवारों को उनके दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित करता है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार हैः–

दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:00 बजे पूर्वाह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
28.05.25 (बुधवार)	570025, 570028, 570040, 570047, 570071, 570073, 570075, 570087, 570090, 570101, 570114, 570126, 570131, 570138, 570144, 570149, 570165, 570170, 570171, 570179

02. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार उक्त विज्ञापन के लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के ई–प्रवेश पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे।

03. आयोग के उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र– I एवं II उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र– I एवं II में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

04 **सभी उम्मीदवार अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी की एक प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उम्मीदवारों को प्रकाशित विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाईन आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नलिखित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार एक (one) सेट में भी लाना अनिवार्य होगाः–**

(i) लिखित परीक्षा हेतु भरे गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति।

(ii) जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक प्रमाण–पत्र।

(iii) B.E/B.Tech/B.Sc. (Engg.)/AMIE Section- A & B) का सभी वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र।

(iv) B.E/B.Tech/B.Sc. (Engg.) /AMIE का डिग्री प्रमाण–पत्र।

(v) सम्बन्धित विषय में AMIE (Section- A & B) उत्तीर्ण उम्मीदवार, जिनका AMIE में दिनांक–31.05.2013 तक Enrollment with permanent recognition प्राप्त है, परंतु उत्तीर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विज्ञापन के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत है, तो उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र यथा Enrollment/Registration Certificate प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा कि उक्त उम्मीदवार द्वारा AMIE में दिनांक–31.05.2013 तक Enrollment with permanent recognition प्राप्त कर उक्त डिग्री प्राप्त की गई है।

(vi) M.E/M.Tech./M.S. का सभी वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र।

(vii) M.E/M.Tech/M.S.. का डिग्री प्रमाण पत्र।

(viii) यदि आपके स्नातक (B.E/B.Tech./B.Sc. (Engg.)/AMIE Section- A & B)/ स्नातकोत्तर (M.E/M.Tech./M.S. अंक पत्र/डिग्री प्रमाण पत्र में CGPA/DGPA/YGPA/OGPA/GPA/CPI इत्यादि अंकित है तो सम्बन्धित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली (CGPA/ DGPA/ YGPA/OGPA/ GPA/CPI) को Percentage में बदलने का Conversion formula/ Certificate प्राप्त कर मूल से सत्यापन हेतु प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। उक्त Conversion Formula/ Certificate संलग्न नहीं करने की स्थिति में विज्ञापन में अंकित नोटः– "बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में]ICTE द्वारा CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा।" के आधार पर कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(ix) पीएच.डी. उत्तीर्णता सम्बन्धी अधिसूचना (Notification)।

(x) पीएच.डी. उत्तीर्णता प्रमाण पत्र।

(xi) यदि आपके पीएच॰डी॰ उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में ब्रांच/विषय यथा 57/2024 के लिए माईनिंग इंजी॰ अंकित नहीं है तो उम्मीदवार को पीएच॰डी॰ कोर्स वर्क प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/पीएच॰डी॰ उत्तीर्णता सम्बन्धी अधिसूचना–Notification (ब्रांच/विषय अंकित होने की स्थिति में) प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना होगा।

(xii) यदि आप विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में संविदा पर नियोजित व्याख्याता का अनुभव रखते हैं, तो विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार द्वारा निर्गत संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र।

(xiii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।

(xiv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।

(xv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र।

(xvi) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।

(xvii) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xviii) ऑनलाईन आवेदन की कंडिका–7 में अंकित फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति।

(xix) दो पासपोर्ट साईज का अद्यतन फोटो।

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण–पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति एक सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि–16.07.2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है।

05. **उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो इसके लिए किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता प्रभावित होगी तथा उनके अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

06. (i) यदि आपने अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थाई पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

07. **दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होनें मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**

08. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 01 (एक) घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

09. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का **इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि** आयोग परिसर में लाना वर्जित है।

10. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्नकः– 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I
2. परीक्षावार प्राप्तांक एवं प्रतिशत, अनुभव विवरण प्रपत्र–II

8/5/25

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना